कर्मचारी भविष्य निधि संगठन

(श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार)

क्षेत्रीय कार्यालय

कार्मल स्कूल के सामने, पो०-लेबर कैम्प, सिविल लाइन्स, गोरखपुर-273 009

दूरभाष : 0551-2336126, फैक्स : 0551-2203736, E-mail : ro.gorakhpur@pfindia.gov.in

---

क्रमांक 39041 /ई.पी.एफ./यू.पी./ 2086461/2963/अनुभाग दिनांक 27/9/25

सेवा में, Globetech Creations Pvt Ltd

Word No-6, Gopal Nagar, Siswa Bazar

Maharajganj (UP) 273163

विषय :- भविष्य निधि खाता संख्या, यू.पी./ ☐☐☐☐☐ / ☐☐☐☐☐

महोदय,

आपका दावा प्रपत्र ~~19/10C~~/ 20, 10D, 5IF खेदपूर्वक निम्न कमियों के कारण लौटाया जा रहा है, कृपया सुधार करके पुनः प्रेषित करें-

1. सदस्य का नाम/पिता का नाम, कार्यालय अभिलेख से नहीं मिलता है। नियोक्ता द्वारा सत्यापित शपथ-पत्र के साथ स्पष्टीकरण दें, तथा साथ में प्रपत्र संख्या 5 एवं 10 भी प्रदान करें।
2. दावा प्रपत्र में जो खाता संख्या दर्शाया गया है वो उक्त सदस्य को प्रपत्र..................के अनुसार आवंटित नहीं है।
3. नौकरी छोड़ने के कारण दूसरे संस्थान में नौकरी करना लिखा है। यदि वर्तमान संस्थान ई.पी.एफ. एण्ड एम.पी. एक्ट 1952 के तहत आता है तो खाता स्थानान्तरित करने के लिये फार्म 13 भरकर भेजें।
4. पत्र व्यवहार का पूरा पता/बैंक खाता संख्या एवं बैंक का पूरा पता नहीं दर्शाया गया है।
5. बैंक खाते के अंकों व शब्दों में अन्तर है। बैंक खाता सं. में ओवर राइटिंग है जो प्रतिष्ठान द्वारा सत्यापित नहीं है।
6. भविष्य निधि/पेंशन/बीमा राशि रू. 2000/- से अधिक देय है अतः मनीआर्डर से भेजना संभव नहीं है। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में बचत खात खोलकर बैंक पासबुक की प्रमाणित छायाप्रति के साथ प्रेषित करें।
7. दावा प्रपत्र नौकरी छोड़ने के दो माह की प्रतिक्षा अवधि के पूर्व भरा गया है। कृपया दिनांक........................के पश्चात् प्रेषित करें।
8. सदस्य ने दावा प्रपत्र में हस्ताक्षर नहीं कियें हैं/अंगूठा नहीं लगाया है (अशिक्षित सदस्य के संदर्भ में) अग्रिम प्राप्ति रसीद में 1/- रूपये का रसीदी टिकट द्वारा प्रमाणित नहीं है।
9. दावा प्रपत्र नियोजक द्वारा प्रमाणित नहीं है।
10. अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर उपलब्ध नमूना हस्ताक्षर से मेल नहीं खाते हैं अतः अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्रवर्तन अधिकारी से सत्यापित करवाकर भेजें।
11. आपका भविष्य निधि खाता बन्द हो चुका है और भविष्य निधि राशि रू. ....चेक सं. .... दिनांक..................... एवं एफ.पी.एस. राशि रू. ....चेक सं. ....दिनांक.................को आपके बैंक खाता सं. .... में भेज दी गई है।
12. आपके खाते का आंशिक भुगतान रू. ....दिनांक..........................को किया जा चुका है उसके बाद संस्थान में कोई पैसा/रिटर्न जमा नहीं किया है।
13. प्रपत्र......................का कालम सं. ....नहीं भरा गया है/ओवर राइटिंग नियोजक द्वारा सत्यापित नहीं है।
14. प्रपत्र 3ए वर्ष..............................कार्यालय में उपलब्ध नहीं है प्रपत्र 5 व 10 प्रेषित नहीं है। इन प्रपत्रों को प्रतिष्ठान द्वारा भिजवाने की व्यवस्था करें।
15. आपका सेवाकाल 10 वर्ष से अधिक है अतः "विड्रावल बेनफिट" देय नहीं है। आपको योजना प्रमाण पत्र देय है जिसके आधार पर 58 वर्ष की आयु के बाद पेंशन अथवा 50 वर्ष की आयु से घटी दर पर पेंशन देय होगी। कृपया कालम में विकल्प भरें तथा परिवार का पूर्ण विवरण मय जन्म प्रमाण-पत्र प्रेषित करें।
16. सदस्य/बच्चों के आयु प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं है/मान्य नहीं है। स्कूल के प्रधानाचार्य/नगर निगम/रजिस्ट्रार द्वारा अथवा पंचायत के परिवार रजिस्टर से निर्धारित प्रोफार्मा में नियोजक से प्रमाणित कराके भजें।
17. मृत्यु प्रमाण-पत्र संलग्न नहीं किया गया है/नियोजक से प्रमाणित नहीं है।
18. मृत्यु सेवाकाल के दौरान नहीं हुई है अतः ई.डी.आई. राशि देय नहीं है। अतः आपका दावा प्रपत्र 5 IF वापस किया गया है।
19. दावेदार नाबालिग है। वास्तविक अभिभावक द्वारा प्रेषित किया जाये/अभिभावक प्रमाण पत्र संलग्न किया जाये।
20. मृतक सदस्य का परिवार विवरण संलग्न प्रोफार्मा में भेजें।
21. ई.डी.आई. के लिये मस्टर रोल सर्टिफिकेट भेजें, मृतक सदस्य की भविष्य निधि का भुगतान किसको और कब किया है, इस आशय का प्रमाण पत्र संलग्न करें। चेक संख्या का उल्लेख करते हुए भेजें।
22. आपका पेंशन योजना में सेवाकाल 6 माह से कम है/प्रतिष्ठान द्वारा पेंशन योजना का अंशदान जमा नहीं किया गया है, अतः विड्रावल बेनीफिट देय नहीं है।
23. अंकित कमियां— मृतक सदस्य का अंशदान दो माह का है तथा अगर मृतक सदस्य की मृत्यु सेवाकाल के दौरान हुई है तो Master Roll संलग्न करें तथा उक्त के अलावे नियोक्ता सेवा छोड़ने की तिथि आनलाइन अपडेट कर पुनः कार्यालय को प्रेषित करें कंपनी में कार्य करने का भी दस्तावेज प्रस्तुत करें।
24.

भवदीय

[signature] 27/9

सहायक भविष्य निधि आयुक्त/स०ले०अ०

संलग्न : दावे

प्रतिलिपि सूचनार्थ।

GLOBETECH
CREATIONS PVT. LTD.
CIN:U70109LIP2018PTC110502
AN ISO CERTIFIED

Ref: GCPL/SB2/PF-COM./LT.NO-328/DATED-04.08.2021 Date: 04 AUG 2021

सेवा में,

क्षेत्रीय आयुक्त,
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन,
क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर। U/1208646/12963

विषय—कर्मचारी के मृत्योपरांत हित लाभ भुगतान हेतु प्रेषित आवेदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

हमारे कम्पनी में कार्यरत कर्मचारी भीम यादव का कार्य के दौरान दिनांक—15/10/2020 को निधन हो गया है, जिनकी UAN 101611426471 है। उनके मृत्योपरान्त उनके उत्तराधिकारी/आश्रितों के समस्त आवश्यक प्रपत्र, कम्पोजिट दावा प्रपत्र के साथ संलग्न कर आपके समक्ष भुगतान हेतु प्रेषित है।

महोदय से निवेदन है कि उक्त दावे का भुगतान कराने की कृपा करें।

भवदीय

(अधिकृत हस्ताक्षरी)

कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
केन्द्रीय पंजीयन
डायरी सं0.............
29 AUG 2025
डाक प्राप्त किया
क्षेत्रीय कार्यालय, गोरखपुर

Globetech Creations Pvt (Ltd.) Maharajganj (U.P.) Gopal Nagar, Siswa Bazar

3099

107

संलग्नक—

कम्पोजिट दावा प्रपत्र—

1. मृतक का आधार कार्ड की छायाप्रति।
2. मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
3. कुटुम्ब रजिस्टर की प्रति।
4. माता एवं पिता का आधार, बैंक पासबुक, फोटो तथा जन्म प्रमाण पत्र की प्रति।

Work Discipline Only Key Of Success!